PCM

प्रेषक,

संख्या– 33 /XXIV(4)/2019-25(01)/2018

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3.1.19

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 03 जनवरी, 2019

विषय– **उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र–छात्राओं को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 28 दिसम्बर, 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49) प्रख्यापित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49) की धारा–32 (1) व (2) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत है–

32.(1) All Government institutions of higher education and other higher education institutuions receiving aid from the Government shall reserve not less than five percent seats for persons with benchmark disabitities.

(2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission in institutions of higher education.

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र–छात्राओं को भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्रख्यापित उक्त धारा–32 (1) व (2) के अनुसार आरक्षण एवं आयु सीमा में शिथिलीकरण अनुमन्य होगा।

अतएव कृपया उपुर्यक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

3/1/2019

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/XXIV(4)/2019-25(01)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पृ0सं0– डिग्री सेवा/विविध/ 8639 /2018–19, दिनांकः 03.01.2019.

03/01/2019

प्रतिलिपिः समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को उक्त पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि अपने महाविद्यालय में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र–छात्राओं को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध मे शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उक्तवत्।

(डॉ0 बी0सी0 गलकानी),
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

संख्या 1144 / कार्मिक–2–2001–53(1) 2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं / सार्वजनिक उद्यमों / निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आँकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रैपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1)	अनुसूचित जाति	19%
(2)	अनुसूचित जनजाति	04%
(3)	अन्य पिछड़ा वर्ग	14%

2–शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :–

(i)	महिलाएं	20%
(ii)	भूतपूर्व सैनिक	02%
(iii)	विकलांग व्यक्ति	03%
(iv)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02%

जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग की होगी / होगा, उसे उसी वर्ग में हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3–आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा),
सचिव।